



बैंक-NBFC सह-उधार

प्रलिस के लयः

सह-उधार ढडल, NBFC, प्रथमक कषेतर,

ढेन्स के लयः

सह-उधार ढडल के उद्देश्य, सह-उधार ढें ज़ोखमऱ

चर्चा ढें क्यौं?

हल ही ढें कई बैंकौं ने पंजीकृत गैर-बैंकगऱ वतऱतीय कंढनयऱौं (NBFC) के साथ सह-उधार 'ढास्टर सढझौते' कयऱ हैं । वर्ष 2020 ढें ढारतीय रज़ऱर्व बैंक (RBI) ने एक पूर्व सढझौते के आधर पर सह-उधार ढडल की अनुढत दी थी ।

- हललौक सह-उधार से जुड़ी कुछ आलोकनरँ ढी हैं ।

प्रढुख ढदुः

• सह-उधार ढडलः

- **पृष्ठढूढः** सतऱंबर 2018 ढें आरबीआई ने बैंकौं और NBFC दवरर **प्रथढकऱता कषेतरकौं** को ःण देने के लयऱ ःण की सह-उधार की घोषणर की थी ।
 - इस वयवसुथर ढें क्रेडऱटऱ कऱ संयुक्त योऱगदरन और ज़ोखमऱौं तथर पुरस्कररौं को सऱझर करनर शरढलऱ थर । सह-उधार यर सह-उत्पत्तऱ एक ऐसी वयवसुथर है जहलौं बैंक और गैर-बैंक प्रथढकऱता प्राप्त कषेतर को ःण देने के लयऱ ःण के संयुक्त योऱगदरन की वयवसुथर करते हैं ।
 - इन दशऱनरदेशौं को वर्ष 2020 ढें संशोधतऱ कयऱ गयर और हऱउसगऱ फऱइनेंस कंढनयऱौं तथर ढडल ढें कुछ ढदलरवौं को शरढलऱ करके सह-उधार ढडल (CLM) के रूप ढें फरऱ से नरढ दयऱ गयर ।
 - प्रथढकऱता कषेतरकौं के ढरनदंडौं के तहत बैंकौं को अपने फंड कऱ एक वशऱष हसऱसऱ सढरज के कढज़ोर वरगौं, कृषऱ, एढएसएढई और सऱढरजकऱ ढुनयऱदी ढरँचे जैसे नरऱदषऱट कषेतरौं को उधर देनर अनवररर्य है ।
- **उद्देश्यः** 'सह-उधार ढडल' (CLM) कऱ प्रथढकऱ उद्देश्य अरुथवयवसुथर के असेवतऱ और कढ सेवा वरले कषेतर को ःण के प्रवरह ढें सुधर करनर है ।
 - इसढें अंतढऱ लऱढररुथऱ को वहनीय लऱगत पर धन उपलढध कररने की ढी परकऱलपनर की गई है ।
- **अंतरनहऱतऱ/आधरढूढ वचऱरः** CLM एक सहयोऱगी प्रयऱस ढें बैंकौं और NBFCs के संबंढतऱ तुलनरतढक लऱढौं कऱ ढेहतर लऱढ उठरने कऱ प्रयऱस करतऱ है ।
 - बैंकौं से धन की कढ लऱगत ।
 - NBFCs की अधकऱ पहुँच ।
 - उदरहरण के लयऱ, CLM अंत तक वतऱतीय संवरुद्धन के ढरधुढ सऱ MSMEs के लयऱ वतऱतीय सढरवेशन को ढदऱवर देगऱ ।
- **CML कऱ उदरहरणः** देश के सढसे ढड़े ःणदरतऱ SBI ने कसऱनरौं को टुरैक्टर और कृषऱ उपकरण खरीदने ढें ढदद करने हेतु सह-उधार देने के लयऱ एक ढड़े कऱरुपऱरेट घररने की एक छऱटी NBFC अदरनी कैपऱऱल के साथ एक सढझौते पर हसुतऱकषर कयऱ ।

• सह-उधार ढें ज़ोखमऱः

- **अधकऱश ज़ढऱढेदररी बैंकौं के पऱसः** CLM के तहत, NBFCs को अपने खरतौं ढें वयक्तगऱत ःण कऱ कढ से कढ 20% हसऱसऱ रखनर ऱवशुयक है ।

- इसका मतलब है कि 80% जोखिम बैंकों को होगा जो डफॉल्ट के मामलों के लिये सर्वाधिक ज़िम्मेदार होगा।
- वास्तव में जहाँ बैंकों द्वारा ऋण का बड़ा हिस्सा वितरित किया जाता है, वहीं NBFC द्वारा उधारकर्ता का नर्णय किया जाता है।
- **बैंकिंग में कार्पोरेट्स:** आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर बड़े कार्पोरेट घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है, लेकिन NBFC ज़्यादातर कार्पोरेट घरानों द्वारा नर्णयित की जाती हैं।
 - यह जोखिम भरा है, खासकर जब चार बड़ी नर्णयित कंपनियाँ- IL&FS, DHFL, SREI और रलियंस कैपिटल आरबीआई द्वारा कड़ी नर्णयित के बावजूद पछिले तीन वर्षों में ध्वस्त हो गई हैं।
- **NBFC की सीमिति पहुँच:** जबकि आरबीआई ने "NBFC की अधिक पहुँच" का उल्लेख किया है, 100-शाखा नेटवर्क वाले छोटे NBFCs कम सेवा प्राप्त और असेवित क्षेत्रों में सेवा देने में कम हो जाएँगे।

आगे की राह

- नर्णय लेने की प्रक्रिया के संचालन, समीक्षा करने और नर्णय करने के लिये बैंक के बोर्ड को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है तथा इसके लिये योग्य व्यक्तियों की भरती की जानी चाहिये।
 - साथ ही एक अधिक मज़बूत जोखिम प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता है।
- अब वदेशी बाजारों को देखने की और उपयुक्त व्यावसायिक नीतियाँ (वैश्विक स्थान और इन बैंकों द्वारा लक्षित उत्पाद के संदर्भ में) स्थापित करने की ज़रूरत है, जो इन बैंकों की दक्षता तथा उनके वैश्विक समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में मदद करेगी।
- नर्णयलक्षित के संबंध में नर्णय सुधार किये जाने चाहिये,
 - उत्पाद नवीनता,
 - प्रौद्योगिकियों में नर्णय,
 - बेहतर बैंक-एंड प्रक्रियाएँ,
 - टर्नअराउंड समय में कमी

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bank-nbfc-co-lending>

